सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़ आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 04/2014

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर (राज.)

1. छिन्द्रपाल कौर पत्नि हरदेव सिंह पुत्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एम. तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानर

अपीलांटस

बनाम

1. जसकरण सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एम. तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (मृतक)
   1/1 गुरमीत कौर पत्नी जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एम. तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
   1/2 जगतार सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एम. तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
   1/3 कुलविन्द्र सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एम. तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. सरजीत सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एम. तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरदीप कौर पत्नि श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एम. श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. उपतहसीलदार (भू.अ.) केसरीसिंहपुर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) केसरीसिंहपुर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित : 1. श्री मोहनलाल पूनियां, अधिवक्ता, अपीलांटस
2. श्री मोहनलाल छाबड़ा, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0

आदेश दिनांक :27.11.2020

अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रेस्पोडेन्टस के खिलाफ पेश की गई है जिसके संक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के पति श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 एम. तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर के नाम खाता संख्या 5, 6 व 13 के विभिन्न मुरब्बों में कुल 10.714 हैक्टेयर कृषि भूमि खातेदारी थी। यह भूमि प्रीतम सिंह को अपने पिता श्री उजागर सिंह से विरासतन प्राप्त हुई थी और इस कारण यह सम्पति पैतृक सम्पति थी। अपीलांट स्वयं प्रीतम सिंह की पुत्री होने व रेस्पोडेण्टान नं. 1 व 2 प्रीतम सिंह के पुत्र होने के नाते इस सम्पति में प्रीतम सिंह के साथ बराबर के हिस्सेदार व हकदार थे। प्रीतम सिंह द्वारा इस सम्पति का हिस्सेदारों में विभाजन करने पर अपीलांट भी बतौर पुत्री प्रीतम सिंह इस सम्पति में अपना चौथा हिस्सा व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 यदि बतौर पत्नि प्रीतम सिंह हकदार मानी जावे तो अपीलांट इस सम्पति में पांचवा हिस्सा की हकदार है। अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पिता प्रीतम सिंह ने अपीलांट को इस भूमि में वंचित करने की दुर्भावना से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता
श्रीगंगानगर

उक्त पैतृक सम्पति का आपसी सहमति से अपने व अपने पुत्रों रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 कें मध्य विभाजन करने के लिए एक आवेदन पत्र उपतहसीलदार केसरीसिंहपुर रेस्पोडेण्ट संख्या 4 के यहां दिनांक 28.12.2011 को प्रस्तुत किया इस आवेदन में चक 4 एम. के खाता संख्या 6 की मु. नं. 10 के किला नं. 16 ता. 20 की 1.265 हैक्टेयर भूमि छोड़कर शेष 9.449 हैक्टेयर भूमि सहमति विभाजन से अपने पुत्रों रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को देने व इनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। इस आवेदन पत्र के साथ प्रीतम सिंह ने अपना शपथ पत्र भी दिनांक 28.12.2011 की तारीख में प्रस्तुत किया। इस आवेदन पत्र के साथ प्रीतम सिंह ने अपनी पत्नि गुरदीप कौर का भी शपथ पत्र दिनांक 28.12.2011 को प्रस्तुत किया। प्रीतम सिंह ने इस आवेदन पत्र व अपने व गुरदीप कौर के शपथ पत्रों के साथ अपीलांट के नाम से फर्जी औरत छिन्द्र कौर बनाकर प्रतिरूपेन से अपीलांट का एक शपथ पत्र बनाया और उस पर फर्जी अंगूठा लगाया गया। उस फर्जी बनाये गये शपथ पत्र पर अपीलांट की फोटो किसी एलबम से लेकर फोटो भी चस्पा कर दी और इस शपथ पत्र को नोटेरी से सत्यापित करना दिखाने हेतु उपतहसीलदार रेस्पोडेण्ट संख्या 4 के समक्ष प्रस्तुत किया और प्रीतम सिंह व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता. 4 ने साजिश कर अपीलांट का प्रतिरूपेन से बनाये गये शपथ पत्र का सहारा लेते हुए प्रीतम सिंह की उक्त 9.499 हैक्टेयर भूमि से विभिन्न मुरब्बा व किलाजात के नाम से कुल भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम से 4.851 हैक्टेयर व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम से 4.598 हैक्टयेर भूमि सहमति विभाजन से आदेश देकर भूमि उनके नाम किये जाने का आदेश पटवारी हल्का को दिनांक 28.12.2011 को जारी कर दिया। अपीलांट कभी किसी कागज पर अंगूठा नहीं लगाती है। अपीलांट साक्षर है और हमेशा अपना हस्ताक्षर हिन्दी भाषा में करती है। अपीलांट अपने पिता प्रीतम सिंह के नाम से पैतृक सम्पति में हिस्सेदार थी। अपीलांट ने कभी अपने हिस्से का परित्याग नहीं किया और न हिस्सा न लेने का कोई शपथ पत्र कभी भी अपने हस्ताक्षरों से व अंगूठा लगाकर निष्पादित किया और न किसी नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाया। अपीलांट के स्थान पर प्रतिरूपेन ने अन्य व्यक्ति खड़ा कर उसके फर्जी अंगूठे अपीलांट के स्थान पर किया। ऐसी फर्जी कार्यवाही पर भी अधीनस्थ न्यायालय को कोई विश्वास करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस दिया जाना आवश्यक था और इस बात की जांच की जानी चाहिए थी कि क्या पैतृक सम्पति में अपना हिस्सा न लेने का कोई शपथ पत्र अपीलांट ने निष्पादित करवाया है या नहीं। इसके अतिरिक्त हिस्सा छोड़ने का कोई प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं है और कोई हिस्सा छोड़ा नहीं जा सकता। हिस्सा छोड़ने का प्रलेख भी पूरे स्टाम्प पर एवं पंजीकृत प्रलेख होना आवश्यक है जबकि ऐसा नहीं किया गया। साधारण कागजात पर शपथ पत्र बनाकर बिना पंजीयन के पेश होने मात्र से बिना इसकी जांच किये प्रीतम सिंह की भूमि केवल रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम करने का आदेश देने में सख्त गलती की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रीतम सिह ने इस सम्पति को अपने पिता से विरास्तन मिलना स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि को पैतृक माना है। इसके बावजूद अपीलांट के नाम से प्रस्तुत फर्जी शपथ पत्र पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलांट के हिस्से की भूमि का इन्द्राज रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम करने का जो आदेश सहमति विभाजन के नाम से दिया है , वह निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53 (2) में सहमति विभाजन का आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ है। अपीलांट इसमें सहखातेदार कृषक होना साबित था। ऐसी सूरत में सहमति विभाजन में तमाम सहखातेदारान को सहमति बाबत संबंधित काश्तकारों की सहमति के बयान लिपिबद्ध कर आदेश पारित किया जाना चाहिए था परंतु ऐसा न कर जो

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता
श्रीगंगानगर

अपील पारित किया है वह निरस्त होने योग्य है। आदेश जेर अपील अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय रूप से विधि विरूद्ध पारित किया गया है। प्रीतम सिंह के नाम की अलग से 1.265 हैक्टेयर भूमि विरास्तन इतंकाल तस्दीक किया गया है जिसमें अपीलांट का हिस्सा विरास्तन इतंकाल के माध्यम से दर्ज किया गया है। अपीलांट अपने इस इतंकाल की जानकारी एवं इसके साथ जरिये सहमति विभाजन प्रीतम सिंह द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम करवाने की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 28.04.2012 को दी गयी। इससे पूर्व अपीलांट को आदेश जो अपील की गयी जानकारी नहीं थी। ऐसी सूरत में आदेश जो अपील की जानकारी दिनांक 28.04.2014 को प्राप्त की गयी। अपीलांट को उसके हक से फर्जकारी से वंचित किया गया है। अपीलांट आदेश जैर अपील के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की हकदार है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाई जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई है, साथ ही मौखिक बहस भी सुनी गई है।

अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि अपील अपीलांटा द्वारा उपतहसीलदार(भू.अ.) केसरीसिहंपुर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2012 अंतर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत बंटवारा के आधार पर दिनांक 02.01.2012 को विभाजन आदेश पारित किया, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.01.2012 उपतहसीलदार केसरीसिंहपुर द्वारा बिना क्षेत्राधिकारी के पारित किया गया है। धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 में यह प्रावधान है कि उपतहसीलदार को धारा 53(2) में बंटवारा का आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। धारा 53(2) एवं रेवन्यू बोर्ड नियम के अनुसार बंटवारा करने का क्षेत्राधिकार सिर्फ तहसीलदार को है। उपतहसीलदार कानूनन बंटवारा सहमति से नहीं कर सकता है। अपील में अपीलाकृत आदेश उपतहसीलदार केसरीसिहंपुर द्वारा दिनांक 02.01.2012 को पारित किया गया है जो कतई ही गैर कानूनी व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया है। धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत समझौता डिक्री पारित करने से पूर्व तहसीलदार स्वयं विभाजन का प्रार्थना पत्र व पारिवारिक समझौता पेश होने के बाद स्वयं मौके पर जाकर उक्त कृषि भूमि की जाचं करेगा तथा एक रंगीन नक्शा बनायेगा और उसकी नक्शे के अनुसार उक्त पैतृक सम्पति में जितने सह भागीदार है उनकी ओर से पारिवारिक समझौता के सबंध में जांच करेगा तथा सभी भागीदार के हस्ताक्षर उस पारिवारिक समझौता पर करवायेगा। आवश्यकता पड़ने पर समझौता के बारे में शपथ पत्र लेगा व बयान अंकित करेगा उसके बाद तहसीलदार उक्त प्रस्ताव तैयार कर विभाजन की डिक्री पारित कर सकता है। तहसीलदार, पटवारी/नायब तहसीलदार/लैण्ड रिकॉर्ड निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित नहीं की जा सकती जबकि उक्त अपील में बिना तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर कोई प्रस्ताव तैयार कर अपीलाधान आदेश पारित किया गया है जो क्षेत्राधिकार से बाहर व कानून के विपरीत होने के कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्त करने योग्य है। 2019 आरबीजे पेज 123 अनवानी गुल मोहम्मद खान बनाम अमित अफजल खान बोर्ड ऑफ रेवन्यू राज. अजमेर "राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 धारा 53 व राजस्थान टेनेन्सी नियम 1955–नियम 21–तहसीलदार स्वयं भूमि के विभाजन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

प्रस्ताव अपने हस्ताक्षर व सील के द्वारा तैयार करेगा। अदालत पटवारी/नायब तहसीलदार/लेण्ड रिकॉर्ड निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित नहीं कर सकता।'' इसके अलावा राजस्थान रेवन्यू बोर्ड अजमेर द्वारा पारित न्याय निर्णय 2019 आरबीजे पेज–312 अनवानी जवाहर बनाम छितरमल में न्याय निर्णय में प्रतिपादित किया है कि '' राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 नियम 18 से 21 पटवारी द्वारा भूमि विभाजन की तैयार की गयी रिपोर्ट वैद्य नहीं है।'' इस प्रकार दोनो निर्णय के अनुसार उपतहसीलदार को अपीलाधीन निर्णय पारित करने की कोई अधिकारिता नहीं थी इसलिए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। अपील में अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पिता व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के पति के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.12.2011 को पारिवारिक समझौता के अनुसार अपनी पैतृक कृषि भूमि 4 एम के मु. नं. 16, 33/6, मु. नं. 4 से 7, 10 से 15, 20 से 25, 31 से 33 की कुल 113.851 हैक्टयेर में से 6.024 हैक्टेयर व खाता संख्या 13 के मु. नं. 16 की 3.795 हैक्टेयर , चक 26 एफ के खाता संख्या 50 का मु. नं. 2 से 4, 7 से 13, 20, 21, 66/12, 66/17 कुल 68.803 हैक्टेयर में से 0.768 हैक्टेयर कुल 10.714 हैक्टेयर नहरी बारानी कृषि भूमि में से अपने पुत्र जसकरण सिंह को 4.851 हैक्टेयर व सरजीत सिंह को 4.598 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा अपने स्वयं के नाम 1.265 हैक्टेयर रखकर बंटवारा करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके साथ ही सहमति पत्र बंटवारा समझौता प्रस्तुत किया। उक्त पारिवारिक समझौता बंटवारा पर सिर्फ एक प्रीतम सिंह कें अंगूठा निशानी के अलावा किसी भी सहकाश्तकार का कोई हस्ताक्षर अंगूठा अंकित नहीं है। पारिवारिक समझौते के अनुसार सभी पक्षकारान का पारिवारिक समझौते पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी व सहमति आवश्यक है। इस तथ्य की ओर ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.01.2012 निरस्त करने योग्य है। उक्त निर्णय बंटवारा की परिभाषा में नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रथम फर्द अहकाम किस तारीख को लिखी है पत्रावली पर फर्द अहकाम मे इससे कोई पता नहीं चलता। महज ये लिखा गया है कि आपसी सहमति बंटवारा 28.12.2011 स्वीकार किया जावे, किस तिथि को या तारीख को पटवारी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, पटवारी द्वारा कोई नक्शा बनाया गया है या नहीं, इस तरह का कोई दस्तावेज पत्रावली में शामिल नहीं है। ऐसी सूरत में अपीलाधीन निर्णय नियम विरूद्ध व सम्पूर्ण रूप से दूषित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट पढी लिखी है और हस्ताक्षर करती है। अपीलांट द्वारा जो शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करना अधीनस्थ न्यायायल ने बताया है वह देखने मात्र से ही फर्जी प्रतीत होता है क्योंकि उक्त शपथ पत्र पर अपीलांट के अंगूठा निशानी है जबकि प्रार्थीया हस्ताक्षर करती है। प्रार्थीया द्वारा कोई अंगूठा लगाकर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो राज0 जयपुर से अपीलांट के अंगूठा की जांच करवाई गई लेकिन ओपिनियन के पार्ट नं. 2 में मार्क क्यू–2 अंगूठा निशानी अनफिट फॉर कम्पेरीजन बताई है अगर अपीलांट द्वारा दोनों पेज पर अंगूठा लगाया जाता तो दोनों अंगूठों की जाचं एक जैसी आती है। इसके अलावा रेस्पोडेण्ट, अपीलांट के भाई व पिता है उन्होने अगर कहीं किसी कागज पर धोखे से अंगूठा लगवा लिया तो वह अपीलांट के अधिकारों पर बेअसर है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रीतम सिंह द्वारा दिनांक 28.12.2011 को प्रस्तुत किया गया जबकि अपीलांट द्वारा तथाकथित शपथ पत्र 22.11.2012 को लिखना दर्शाया है। बिना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए अपीलांट का पूर्व की तारीख का शपथ पत्र के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस तथ्य की ओर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। रेस्पोडेण्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी है जिसमें सिर्फ मियाद के बिंदु को उठाया गया है तथा इसके अलावा सहमति से राजीनामा के आधार पर की गयी डिक्री की अपील नहीं हो सकती है, के बिंदु पर जोर दिया है जबकि उक्त अपील में इस तरह का वाद बिंदु नहीं है। अपीलांट द्वारा स्वच्छ हाथों से मियाद का प्रार्थना पत्र जो प्रस्तुत किया है उसके अनुसार 18.04.2014 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन आदेश ज्ञान होना जो कि टंकन की भूल से 28.04.2012 लिखा गया है, से हुई बताया क्योकि 28.04.2014 को ही नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया और बिना किसी देरी के 19.04.2014 को नकल प्राप्त कर 28.05.2014 को इल्म से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलांट का अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है, उसके साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसको न मानने का कोई कारण नहीं है। महज मियाद के बिंदु पर अपील खारिज नहीं की जा सकती। जहां अपील में क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद हो, इसके अलावा रेस्पोडेण्ट के द्वारा अपनी बहस में अंकित किया हे कि सहमति राजनीमा के आधार पर पारित डिक्री की अपील नहीं हो सकती जबकि पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने से कहीं भी रजामंदी की बात अपीलांट द्वारा कहीं दर्शित नही होती। पारिवारिक समझौता सहमति पत्र जो प्रस्तुत किया गया है उस पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होना जरूरी है लेकिन अपीलांट के कहीं भी पारिवारिक समझौता पर हस्ताक्षर नहीं है । धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अगर सहमति से बंटवारा होता है तो भी सभी सह काश्तकारों के मध्य एक जेसी कृषि भूमि बंटवारे में डिक्री की जा सकती है जबकि उक्त अपील में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को बंटवारे में 4.851 हैक्टेयर व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 सुरजीत सिंह 4.598 हैक्टेयर कृषि भूमि दी गयी है और बाकी कृषि भूमि महज 1.265 हैक्टेयर प्रीतम सिंह को बंटवारे में आई है। इस तरह से बिना बराबर बंटवारा किये अधीनस्थ न्यायालय समझौता डिक्री पारित नहीं कर सकता। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.01.2012 को निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने लिखित बहस में कथन किया है कि अपील उपतहसीलदार (भू.अ.) केसरीसिहंपुर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2012 अंतर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत बंटवारा के आधार पर दिनांक 02.01. 2012 को पारित विभाजन आदेश के खिलाफ दिनांक 28.05.2014 को अर्थात अवधि बाधित प्रस्तुत की है। मीमो ऑफ अपील में अपीलांट की ओर से मद संख्या 2 में यह तथ्य अंकित किया है कि कुल 10.174 हैक्टेयर भूमि प्रीतम सिंह को विरास्तन प्राप्त हुई थी जो कि पैतृक सम्पति थी एवं उक्त सम्पति में अपीलांट का चौथा अथवा पांचवा हिस्सा बनता है। पिता प्रीतम सिंह ने अपीलांट को भूमि से वंचित करने के आश्य से पैतृक सम्पति का आपसी सहमति से विभाजन अपने एवं अपने पुत्रों रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के मध्य करने के लिए आवेदन पत्र उपतहसीलदार, केसरीसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर 9.449 हैक्टेयर भूमि सहमति विभाजन से अपने पुत्रों को दे दी एवं स्वयं 1.265 हैक्टेयर भूमि रख ली। प्रीतम सिंह ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया, गुरदीप कौर पत्नि का भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपने शपथ पत्रों के साथ अपीलांट के नाम से फर्जी औरत छिन्द्र कौर बनाकर प्रतिरूपेन से अपीलांट का शपथ पत्र बनाया गया और उस पर फर्जी अंगूठा लगाया गया । इस फर्जी बनाये गये शपथ पत्र पर अपीलांट की फोटो किसी एलबम से लेकर फोटो भी चस्पा कर दी और इस शपथ पत्र को नोटेरी से सत्यापित करना दिखाकर उपतहसीलदार के समक्ष

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

प्रस्तुत किया और इसके आधार पर विभाजन आदेश जारी करवा लिया। विशेष रूप से यह तथ्य अंकित किया है कि अपीलांट कभी किसी कागज पर अंगूठा नहीं लगाती है। अपीलांट साक्षर है और हमेशा अपने हस्ताक्षर हिन्दी भाषा में करती है। हिस्सा न लेने का कोई शपथ पत्र कभी भी अपने हस्ताक्षरों से व अंगूठा लगाकर निष्पादित नहीं किया। शपथ पत्र पर प्रतिरूपेन से अन्य व्यक्ति खड़ा कर फर्जी अंगूठा अपीलांट के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर लगवाया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में हिस्सा छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। शपथ पत्र को फर्जी बनाया है। अपील मियाद बाहर होने के सबंध में धारा 5 के तथ्यों के सबंध में यह अंकित किया कि सहमति विभाजन करवाने की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 28.04.2012 को दी गयी इससे पूर्व नहीं थी जिस पर दिनांक 28.04.2014 को नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 29.04.2014 को नकल हासिल कर अपील प्रस्तुत की गयी। अन्ततः अपील स्वीकार करने का अनुतोष चाहा। रेस्पोडेण्ट की और से धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन पत्र का जवाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट को आदेश जैर अपील की जानकारी प्रथम दिनांक से है क्योकि उसके स्वयं के द्वारा अपना शपथ पत्र हिस्सा न लेने एवं विभाजन से कोई ऐजराज न होने के संदर्भ में दिया हुआ है, पटवारी हल्का से जानकारी दिनांक 28.04.2012 को होना कथन करते हुए नकल दिनांक 28.04.2014 को प्राप्त करने का आवेदन पत्र अर्थात दो वर्ष उपरांत प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की गयी। दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा इसे टंकण की त्रुटि होना कथन किया गया है लेकिन जाब्ता दीवानी के प्रावधानों कें अंतर्गत ऐसा कोई आवेदन पत्र आज दिनांक तक उक्त टंकण त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु प्रस्तुत न करना, जवाब धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत होने के बावजदू एवं उक्त तथ्य की जानकारी होने के बावजूद इसे दुरूस्त करवाने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत न करना ही इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि अपीलांट स्वयं के द्वारा वर्णित तथ्य कि पटवारी हल्का से जानकारी दिनांक 28.04.2012 को हुई एवं नकल दो वर्ष उपरांत अर्थात 29.04.2014 को प्राप्त की गयी, से कोई विरोधाभास नहीं है एवं अपील जाहिरा तौर से बाद जानकारी 2 वर्ष उपरांत प्रस्तुत किया जाना साबित है एवं देरी को क्षमा करवाये जाने के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से भी अपील मियाद बाहर होना प्रमाणित है। अपीलांट के द्वारा कोई शपथ पत्र निष्पादित नहीं किया गया एवं उसके स्थान पर अन्य किसी को छिन्द्रकौर बनाकर फर्जी अंगूठा लगाकर शपथ पत्र तैयार किया गया है। अपीलांटा साक्षर है। हिन्दी में हस्ताक्षर करती है एवं कही भी किसी भी कागज पर अंगूठा नहीं लगाया है। संक्षेप में विवाद का निस्तारण इस बिंदु पर होता है कि आया अपीलांटा के शपथ पत्र पर अपीलांटा अंगूठा है अथवा नहीं , यदि है तो अपीलांटा के तमाम तथ्य स्वतः ही गलत प्रमाणित हो जाते है। इसी संदर्भ मे दौराने बहस अपीलांटा के इस कृत्य की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाये जाने पर एवं रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता के निवेदन पर न्यायालय द्वारा अपीलांटा से उसे अंगूठा निशानी की जांच करवाने के संबंध में पूछे जाने पर अपीलांटा ने कथन किया। माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलांटा के अंगूठा निशानी ली राजकीय विधि प्रयोगशाला से अपना अंगूठा की जाचं करवाये जाने का जाकर मूल शपथ पत्र छिन्द्रपाल कौर एवं मानक अंगूठा निशानी जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भिजवायी गयी जिसका तमाम व्यय रेस्पोडेण्ट की ओर से वहन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा जांच हेतु प्रेषित विवादित एंव मानक अंगूठा निशानी की जांच रिपोर्ट आने पर स्पष्ट हों गया कि शपथ पत्र के प्रथम पृष्ठ पर अंकित अंगूठा निशानी छिन्द्रपालकौर की है एवं द्वितीय पृष्ठ पर लगा अंगूठा गहरा होने के कारण मिलान हेतु उपर्युक्त नहीं है। एफ.एस.एल. की उक्त रिपोर्ट से स्वतः ही प्रमाणित हो जाता है

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

कि अपीलांटा ने मीमो ऑफ अपील में गलत तथ्य अंकित कर स्थगन प्रार्थना पत्र एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना के साथ वेग शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। अपीलांटा स्वयं के द्वारा हिस्सा न लिये जाने हेतु अपने पिता एवं भाईयों के पक्ष में शपथ पत्र निष्पादित कर तस्दीक करवाया एवं इस पर अपनी अंगूठा निशानी अंकित कि जिस पर उपतहसीलदार, केसरीसिंहपुर के द्वारा नियमों के तहत संक्षिप्त विचारण में प्रस्तुत दस्तावेजात पर परस्पर सहमति का विभाजन प्रस्ताव जारी कर दिया। जब शपथ पत्र अपीलांटा का स्वयं का निष्पादित किया जाना प्रमाणित है एंवं मीमो ऑफ अपील में इसके विरूद्ध यह तथ्य अंकित किया गया है कि उसका अंगूठा नहीं है। अंगूठा फर्जी है एवं उसे जानकारी नहीं थी, गलत प्रमाणित हो जाते है। धारा 5 के तथ्य भी गलत प्रमाणित हो जाते है क्योकि परस्पर सहमति से विभाजन करने एवं अपना हक अपने भाई एवं पिता के हक में त्याग करने के शपथ पत्र से ही अपीलांटा की जानकारी प्रथम दिनांक से प्रमाणित है, अतः देरी को क्षमा करवाने की अभिवेचन वेग होने एवं संतोषजनक तथ्यों की परिभाषा में नहीं आने के कारण अपील मियाद के बिंदु अथवा विकल्प मे लिये गये आधार के खिलाफ एफ.एस.एल.की रिपोर्ट अपीलांट के खिलाफ आने के फलस्वरूप गुणावगुण पर भी अपील निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलांटा के अधिवक्ता द्वारा अपनी मौखिक बहस में अपनी पक्षकार के स्थान पर अन्य रेस्पोडेण्ट की बहस समाप्त की है एवं प्रक्रिया पर प्रशन चिन्ह उत्पन्न किये है। परस्पर सहमति से हुए विभाजन पर ऐतराज महज अपीलांटा के द्वारा उठाये गये है एंव मुख्यतः आधार शपथ पत्र निष्पादित न करना एवं शपथ पत्र पर अंगूठा स्वयं का न होना अंकित किया है जबकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से प्रमाणित हो चुका है कि शपथ पत्र अपीलांटा के द्वारा निष्पादित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांटा के खिलाफ धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत एस्टोपल का सिद्धान्त लागू होता है एवं अपीलांटा यह कथन कहने का कतई अधिकार नहीं रखती है कि उसके द्वारा शपथ पत्र नहीं दिया गया एवं इसी स्थिति में अपीलांटा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनायी गयी संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस का मियाद के बिन्दू पर यह कथन कि अपीलांटा को पटवारी हल्का से जानकारी दिनांक 28.04.2012 को हुई एवं नकल दो वर्ष उपरांत अर्थात 29.04.2014 को प्राप्त की गयी, से कोई विरोधाभास नहीं है एवं अपील जाहिरा तौर से बाद जानकारी 2 वर्ष उपरांत प्रस्तुत किया जाना साबित है एवं देरी को क्षमा करवाये जाने के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से भी अपील मियाद बाहर होना प्रमाणित है। अपीलार्थिया का अंगूठा निशान एफ.एस.एल. की रिपोर्ट से पृथम पृष्ट से प्रमाणित होना यह प्रमाणित करता है कि अपीलार्थिया को सहमति से विभाजन की जानकारी पूर्व में थी फिर भी न्यायहित में अपील का निर्णय मियाद के बिन्दु पर न किया जाकर अपील के फैक्ट्स पर किया जाना न्यायसंगत है।

उपतहसीलदार (भू.अ.) केसरीसिहंपुर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2012 अंतर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत बंटवारा के आधार पर दिनांक 02.01.2012 को पारित विभाजन आदेश में अपीलांटा द्वारा यह कहना कि शपथ पत्रों के साथ अपीलांट के नाम से फर्जी औरत छिन्द्र कौर बनाकर प्रतिरूपेन से अपीलांट का शपथ पत्र बनाया गया और उस पर फर्जी अंगूठा लगाया गया । अगर शपथ पत्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

फर्जी बनाया गया है तो सिविल न्यायालय में चाराजोही की जावें । अपीलांटा की राजकीय विधि प्रयोगशाला से अपना अंगूठा की जाचं करवाये जाने पर शपथ पत्र के प्रथम पृष्ठ पर अंकित अंगूठा निशानी छिन्द्रपालकौर की है एवं द्वितीय पृष्ठ पर लगा अंगूठा गहरा होने के कारण मिलान हेतु उपर्युक्त नहीं है। एफ.एस.एल. की उक्त रिपोर्ट से स्वतः ही प्रमाणित करता है कि दिनांक 02.01.2012 को पारित विभाजन आदेश अपीलांटा की सहमति में हुआ है। अगर कोई अपना हक एकबार त्याग कर देता है तो वह पुनः विधि के प्रावधानों अनुसार हक पाने का अधिकारी नहीं रह जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेख के आलोक में न्यायलाय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उपतहसीलदार (भू.अ.) केसरीसिहंपुर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2012 अंतर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत बंटवारा क़े आधार पर दिनांक 02.01.2012 को विधि की दृष्टि में सही है और इसलिए सहमति से किया गया बंटवारानामा भी सही भरा गया है। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता इंगित नहीं होती हैं। लिहाजा इसको यथावत रखा जाता है। अपीलार्थिया की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीकरनपुर/केसरीसिंहपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर।